न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

वादी :— बनाम प्रतिवादीगण :—

उम्मेदसिंह पुत्र आसूसिंह राजपूत सा. हुडील

1. शिम्भूसिंह पुत्र आसूसिंह राजपूत सा. हुडील
2. महावीरप्रसाद पुत्र रामदेवाराम कुम्हार सा. करणपुरा
3. सतीशकुमार पुत्र पूसाराम नाई सा. हुडील
4. तहसीलदार नांवा
5. शाखा प्रबन्ध पंजाब नेशनल बैंक बाडलवास सीकर

दावा बाबत :— खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा

उपस्थित :— श्री विनोदसिंह वकील वादी

मुकदमां नम्बर :— 108 / 2017 निर्णय दिनांक :— 9.1.18

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम हुडील के खसरा नम्बर 860 रकबा 3.77 हैक्टयर भूमि जिसमें वादी व प्रतिवादी 1 के पिता आसूसिंह के स्वर्गवास के बाद बहैसियत उत्तराधिकारी वादी व प्रतिवादी 1 एवं इनकी माता चन्द्रकंवर कोबहिस्सा बराबर खातेदारी प्राप्त हुई वादी ने अपनेहक हिस्से में से 0.56 हैक्टयर भूमि बैचान प्रतिवादी 3 को कर दिया हैं शेष भूमि पर वादी व प्रतिवादी ने आपसी सहमति से बंटवारा कर अलग अलग काबिज चले आ रहे हैं वाद के पैरा संख्या 4 में खसरा नम्बर 860 रकबा 3.77 हैक्टयर में 0.822332 हैक्टयर पर वादी तथा 1.382332 हैक्टयर पर प्रतिवादी 1 एवं 1.005333 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी 2 व 0.56 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी 3 नजरी नक्शे में वर्णित अनुसारा काबिज काश्त होना बताया है। वादी ने अपने हक हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकारो की घोषणा कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा कर अलग होल्डिंग कायम करने का निवेदन किया है। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर साक्ष्य वादी ली गई। पत्पश्चात पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत

दस्तावेजा का अवलोकन किया गया जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के अनुसार खसरा नम्बर 860 रकबा 3.77 हैक्टयर भूमि में चन्द्रकंवर पत्नी आसूसिंह 1/15 , उम्मेदसिंह 1/3 तथा शिम्भूसिंह 1/3 हिस्सा की खातेदारी एवं महावीरप्रसाद पुत्र रामदेवराम कुम्हार 4/15 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हैं खातेदार उम्मेदसिंह द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि में से बैचान करने पर 69/377 उम्मेदसिंह व 56/377 हिस्सा सतीश कुमार के नाम दर्ज रिकार्ड किया गया हैं खातेदार चन्द्रकंवर वादी व प्रतिवादी 1 की माता हैं जिसका स्वर्गवास हो चुका हैं मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया हैं वादी का वाद साबित होने से प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नांवा से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया तहसीलदार नांवा ने अपने पत्रांक 4671 दिनांक 01.01.2018 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी गई जिसको पढ़ समय कर वकील वादी ने सही होना स्वीकार करते हुऐ माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खातेदारी घोषणा कर वादी का वाद डिक्री किया जाकर अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की हैं जिससे वादी का वाद साबित होता हैं।

अतः वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम हुडील के खसरा नम्बर 860 रकबा 3.77 हैक्टयर भूमि में माफिक बटवारा प्रस्ताव में वर्णित स्थान पर वादी को 0.8224 हैक्टयर भूमि का तथा 0.56 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी सतीश कुमार को व 1.3823 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी शिम्भूसिंह को एवं 1.005333 हैक्टयर भूमि का पतिवादी महावीरप्रसाद को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता हैं तदनुसार वादी व प्रतिवादीगण का खातेदारी में दर्ज कर अलग अलग होल्डिंग कायम की जावें। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का पार्ट रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 9.1.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा